कार्यालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ

प्रकरण संख्या :– 441/2024

अनवान :–

प्रार्थना पत्र अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग नोहर बाबत नोहर –पल्लू सडक से नोहर –रावतसर सडक किमी 0/0 से 5/4.00 हेतु दान की गई भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन करने

तारीख हुक्म	कार्यवाह मय इनीशियल जज	नम्बर व तारिख जो अहकाम की पालना में जारी हुए
20.05.2024	अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग नोहर ने अपने पत्रांक 250 दिनांक 13.05.2024 द्वारा लिखा गया की नोहर पल्लू सडक से नोहर –रावतसर सडक किमी 0/0 से 5/4.00 तक सडक निर्माण किया जाना हे जिस हेतु विभाग के पास कोई जमीन उपलब्ध नही थी स्थानीय जनप्रतिनिधि के प्रयासों से शहर के प्रबुधजन नगरिकों ने नोहर पल्ल सडक से नोहर रावतसर सडक किमी 0/0 से 5/4.00 तक सडक निर्माण हेतु 40 फुट जगह राज्य सरकार को बिना किसी हरजाने के समर्पित की हे सडक हेतु काश्तकारों के द्वारा भूमि सर्मपण करने के साक्ष्य में अपने शपथ पत्र पेश किये गये है जो इस पत्र के सलग्न है अतः समर्पित की गई भूमि का नामान्करण सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम दर्ज करने के आदेश फरमावे अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग के पत्रांक 13.05.2024 को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत दर्ज किया जावे एवं पत्र में वर्णित भूमि की मौका जांच एव राजस्व रिकार्ड के अनुसार जाचं की जाकर जांच रिपोर्ट/तथ्यात्मक प्रतिवेदन मय नजरीय नक्शा प्रस्तुत करने हेतु लिखा जाकर पत्रावली रिपोर्ट आने /दिनांक 23.05.2024 को पेश हो।	
23.05.2004	पत्रावली पेश हुई तहसील[illegible] नोहर ने [illegible]के पत्रांक आर–3/1 विविधि/भू0अ0/24/33[illegible] दिनांक [illegible] द्वारा काश्तकारों के द्वारा समर्पण की गई भूमि [illegible] के अनुसार एवं नज[illegible] नक्शा पटवार मण्डल अनुसार प्रस्तुत किया गया है जिसके अनुसार	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:23:06 IST
Reason: SelfAttested

	पटवार मण्डल सोनडी, भुकरका की भूमि पर किसी प्रकार का विवाद स्थगन नही है पटवार मण्डल कस्बा नोहर की भूमि राजस्व रिकार्ड में अराजीराज दर्ज है तथा माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में वाद विचाराधीन है रिपोर्ट शामिल मिसल की गई एव श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, हनुमानगढ ने अपने पत्रांक एफ 9()()नामा/भू.अ./2024–01046/3632 दिनांक 22.04.2024 द्वारा निदेर्शित किया गया है कि नोहर–पल्लू सड़क से नोहर रावतसर सडक किमी 0/0 से 5/4.00 सडक निर्माण के सम्बध में अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग नोहर के पत्रांक 250 दिनांक 13.05.2024 में अंकित तथ्यों की जांच कर कार्यवाही कर 7 दिवस में अवगत करवाने हेत लिखा गया है पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 24.05.2024 को पेश हो।	
24.05.2024	पत्रावली पेश हुई हमने अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग नोहर एवं तहसीलदार नोहर को सुना पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग नोहर ने अपने पत्रांक 250 दिनांक 13.05.2024 का पत्र प्राप्त होने पर तहसीलदार नोहर को अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग नोहर ने अपने पत्रांक 250 दिनांक 13.05.2024 के पत्र की प्रति भिजवाई जाकर राजस्व रिकार्ड एव मौका की जांच कर नजरीय नक्शा एवं किस काश्तकार की कितनी भूमि समर्पित की गई है का हैक में विवरण एवं किसी न्यायालय का स्थगन आदेश एव विवाद के सम्बध में रिपोर्ट चाही गई । तहसीलदार नोहर ने अपने पत्रांक आर–3/1 विविधि/भू0अ0/24/3398 दिनांक 23.05.2024 द्वारा काश्तकारों के द्वारा समर्पण की गई भूमि का विवरण 40 फुट के अनुसार एवं नजरीय नक्शा पटवार मण्डल अनुसार प्रस्तुत किया गया तथा पटवार मण्डल सोनडी एव पटवार मण्डल भुकरका में काश्तकारों के द्वारा समर्पण की जा रही भूमि के सम्बध में कोई वाद/विवाद नही है पटवार मण्डल	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:23:06 IST
Reason: SelfAttested

कसबा नोहर की भूमि राजस्व रिकार्ड में अराजी राज दर्ज है तथा माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में वाद विचाराधीन है

नोहर पल्लू सडक से नोहर रावतसर किमी 0/0 से 5/4.00 किमी सडक निर्माण हेतु काश्तकारों के द्वारा बिना किसी हर्जानें के अपनी खातेदारी भूमि को सडक निर्माण के लिये समर्पण किया गया है साक्ष्य के तौर पर शपथ पत्र पेश किया गया है तथा तहसीलदार नोहर ने समर्पण की गई भूमि के सम्बध में नजरीय नक्शा /जमाबन्दी मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है

तहसीलदार नोहर /पटवार मण्डल सोनडी/भूकरका /कस्बा नोहर के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार पटवार मण्डल सोनडी /भुकरका के काश्तकारों के द्वारा सडक निर्माण हेतु समर्पण की गई भूमि का राजस्व रिकार्ड में सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम दर्ज किया जाना न्यायोचित है पटवार मण्डल कस्बा नोहर की भूमि के सम्बध में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में वाद विचाराधीन रहने के कारण किसी प्रकार के आदेश नही दिये जा सकते है

अतः अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग नोहर के निवेदन एवं तहसीलदार नोहर की मौका रिपोर्ट नजरीय नक्शा के अनुसार नोहर पल्लू सडक से नोहर रावतसर किमी 0/0 से 5/4.00 तक सडक निर्माण हेतु पटवार मण्डल भुकरका एव सोनडी के खातेदार काश्तकारों के द्वारा सर्मपण की गई भूमि का अंकन सार्वजनिक विभाग के नाम किया जाकर राजस्व नक्शा में अंकन किया जाने के आदेश दिये जाते है सडक हेतु सर्मपण की गई भूमि का राजस्व रिकार्ड एवं नक्शा में अकन करने हेतु तहसीलदार नोहर को लिखा जाकर पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो

निर्णय आज दिनांक 24/05/24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास सुनाया गया

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:23:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर